कार्यालय, रजिंस्ट्रार, मध्यप्रदेश सह–चिकित्सीय परिषद
(M.P. PARAMEDICAL COUNCIL)
(A Statutory Body of the Government of Madhya Pradesh)
तृतीय तल, प्लेटिनम प्लाजा, माता मन्दिर रोड, भोपाल

क्र./कॉलेज/एफ–1348(1)/ A190250/ /2019, भोपाल, दिनाँक 10/12/2019

आदेश

राज्य शासन के अनुमोदन उपरांत मध्यप्रदेश सह–चिकित्सीय परिषद अधिनियम 2000 (क्रमांक 1, सन 2001) की धारा–24 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में करते हुए आरकेडीएफ एज्युकेशन सोसायटी के द्वारा संचालित सर्वपल्ली राधाकृष्णन यूनीवर्सिटी को भोपाल जिले में निम्नानुसार विषय तथा प्रवेश संख्या के आधार पर शिक्षण सत्र 2019–2020 (एक वर्ष) के लिए पैरामेडिकल पाठ्यक्रम संचालित करने की सशर्त अस्थायी अनुज्ञा प्रदान प्रदान की जाती है।

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	डिग्री / डिप्लोमा / प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
01	M.M.L.T. (BIOCHEMISTRY)	POST GRADUATE	05
02	M.M.L.T. (MICROBIOLOGY)	POST GRADUATE	05
03	M.M.L.T. (HAEMOTOLOGY)	POST GRADUATE	05
04	M.M.L.T. (HISTOPATHOLOGY)	POST GRADUATE	05
05	M.P.T. (ORTHO.)	POST GRADUATE	05
06	M.P.T. (CARDIO.)	POST GRADUATE	05
07	M.P.T. (OBST. & GYNAEC.)	POST GRADUATE	05
08	BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY	DEGREE	50
09	BACHELOR IN MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	50
10	BACHELOR IN HUMAN NUTRITION	DEGREE	50
11	HUMAN NUTRITION	DIPLOMA	50
12	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50
13	X-RAY(RADIOGRAPHER) TECHNICIAN	DIPLOMA	50
14	DIALYSIS TECHNICIAN	DIPLOMA	50
15	OPTROMETRIC REFRACTION	DIPLOMA	50
16	BLOOD TRANSFUSION	DIPLOMA	50
17	CLINICAL BIOCHEMISTRY	DIPLOMA	50
18	PHARMACY (AYURVED)	DIPLOMA	50
19	PHARMACY (HOMEOPATHY)	DIPLOMA	50
20	YOGA	DIPLOMA	50
21	NATUROPATHY	DIPLOMA	50

आवश्यक निर्देश :–

1. संस्था को म.प्र. सह–चिकित्सीय परिषद के समस्त नियम–विनियम अनुसार प्रवेश तथा अन्य कार्यवाही संपन्न कर परिषद द्वारा जारी पाठ्यक्रम अनुसार शिक्षण करवाना होगा। पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में संस्था द्वारा परिषद द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि 15 जनवरी, 2020 तक छात्रों के प्रवेश किए जा सकेगें।
2. म.प्र. सह–चिकित्सीय परिषद के नियम–विनियम अनुरुप निर्धारित संख्या द्वारा महाविद्यालय में उपयुक्त/योग्य शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सत्र प्रारंभ होने के पूर्व की जाना आवश्यक होगा तथा परिषद को यथाशीघ्र सूचित किया जाएगा।
3. संस्था द्वारा म.प्र. सह–चिकित्सीय परिषद द्वारा बनाये गये प्रवेश नियमों के अनुसार ही छात्रों के प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी।
4. शासन/परिषद की ओर से समय–समय पर किए जाने वाले सामान्य एवं आकस्मिक निरीक्षण के दौरान संस्था को आवश्यक सहयोग प्रदान करना होगा एवं संस्था द्वारा ऑन लाईन आवेदन के समय दी गई जानकारी जिसको कि शपथ पत्र के माध्यम से सत्यापित किया गया है उसमें यदि असत्यता पाई जाती है तो संस्था की मान्यता निरस्तीकरण के संबंध में एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।
5. संस्था को उपरांक्त समस्त सह–चिकित्सीय पाठ्यक्रमों मे प्रवेशित छात्रों की विषयवार सूची (छात्र का नाम, पिता/पति का नाम, शैक्षणिक अर्हता, प्रवेशित पाठ्यक्रम का नाम, प्रवेश क्र. एवं दिनांक, जन्मतिथि, निवास का पता, इत्यादि) निर्धारित तिथि तक म.प्र. सह–चिकित्सीय परिषद को दिनांक 15 जनवरी, 2020 तक अनिवार्य रुप से एम. पी. ऑनलाईन के माध्यम से जमा करानी होगी। निर्धारित तिथि के पश्चात् नियमानुसार परिषद प्रतिदिन प्रति छात्र एक हजार का विलम्भ शुल्क प्राप्त कर सकेगी। जिसके लिये संस्था जिम्मेदार होगी।
6. मध्यप्रदेश सह–चिकित्सीय परिषद द्वारा पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित अधिकतम शिक्षण शुल्क के अनुसार ही संस्था को कार्यवाही करना आवश्यक होगा।
7. उपरोक्त आदेश जारी होने के एक सप्ताह के भीतर संस्था को म.प्र.सह–चिकित्सीय परिषद, सुरक्षा निधि खाते में बैंक–सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, जी.टी.बी. काम्पलेक्स, न्यू मार्केट, भोपाल के खाता क्र. 3716746750 आई.एफ.सी. कोड नं. CBIN0281013 में राशि रुपये सत्ताईस लाख की सुरक्षा निधि के रुप में नगद जमा कर बैंक द्वारा आवश्यक सत्यापन प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

निरन्तर पृ.क्र. 2 पर ...